

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर

कॉक: एलपोल/छात्र/24/90

दिनांक: 20/8/14

कार्यालय आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 (एस पी एल-सी 27295/2000) में पारित आदेश दिनांक 11.2.09 की क्रियावृत्ति के संबंध में निदेशालय, तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी पत्र संख्या: 3853 दिनांक 17-5-24 के क्रम में निम्नानुसार एंटी रैगिंग कमेटी गठित की जाती है:-

:: एंटी रैगिंग कमेटी ::

1. श्री सी.एल.योगी, प्रधानाचार्य - अध्यक्ष
2. प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर
3. प्रतिनिधि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर
4. प्रतिनिधि एन.जी.ओ. - श्री वी.पी.शर्मा, माता श्री गौमती देवी जनसेवा निधि संस्थान, अलवर
5. प्रतिनिधि फौकल्टी - श्रीमती मीरा मीणा, व.प्रवक्ता सिविल  
श्री विनोद यादव, प्रवक्ता  
श्री दीपक यादव, प्रवक्ता, प्रभारी एनसीसी  
श्री मानवेन्द्र कुमार जैमन, प्रवक्ता  
श्री किरपाल सिंह रजाना, प्रवक्ता  
श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता
6. प्रतिनिधि स्थानीय मीडिया- श्री रूपक शर्मा, बढता राजस्थान, अलवर
7. प्रतिनिधि विद्यार्थी पेरेन्ट्स- श्री टेकचन्द, चोरोटी पहाड, अलवर
8. प्रतिनिधि विद्यार्थी - सोनू कुमार पुत्र श्री सुरेश सैनी, तृतीय वर्ष इलैक्ट्रॉनिक्स छात्र  
यश सिंघल पुत्र श्री सुधीर कुमार, विद्युत प्रथम वर्ष छात्र
9. प्रतिनिधि अशैक्षणिक स्टाफ - श्री अनिल कुमार खण्डेलवाल - नि.स.ग्रेड-प्रथम

  
प्रधानाचार्य

कॉक: एलपोल/छात्र /24/90/09

दिनांक: 20/8/14

- प्रतिलिपि :- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर को एंटी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को नामित करने हेतु सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर को एंटी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को नामित करने हेतु सादर प्रेषित है।
3. श्रीमान निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर को सूचनार्थ ।
4. समस्त सम्बन्धित श्री.....

  
प्रधानाचार्य

